हापुड़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

प्रेस नोट

थाना - बहादुरगढ　　　　**दिनांक 17.08.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अंतर्गत हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी करते हुए 06 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्यारोपी माँ व तहेरे भाई को *घटना के मात्र-139 दिन* में *सश्रम आजीवन कारावास व 25– 25 हजार रुपये (कुल 50 हजार रुपये) के अर्थदण्ड* से दण्डित कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

अभियुक्ता सुलेखा(मृतक बच्ची की माँ) के अपने जेठ के लड़के अंकित के साथ प्रेम प्रंसग था तथा दिनांक 31.03.2024 को दोनों को मृतका मासूम बच्ची ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था जिस कारण स्वंय का भेद उजागर हो जाने के डर से दोनों ने घर मे रखी दरांती से बच्ची की निर्मम हत्या कर बच्ची के शव को छिपाने के उद्देश्य से गांव में खाली पडे खण्डर मकान में डाल दिया था। जिसके संबंध में थाना बहादुरगढ पर मु0अ0सं0 67/2024 धारा 302,201,34 भादवि पजीकृत करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था तथा दिनांक 29.04.2024 को पुलिस द्वारा ***मात्र- 27 दिन में आरोप पत्र*** मा0 न्यायालय में प्रेषित कर लगातार सशक्त, प्रभावी पैरवी करते हुए ***दोनों अभियुक्तों (मां व तहेरा भाई) को सश्रम आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित*** कराया गया।

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर ***घटना के मात्र-139 दिन*** में अभियोजन की

कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 17.08.2024 को ***हत्यारोपी मां व तहेरे भाई को सश्रम आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपये (कुल 50 हजार रूपये) के अर्थदण्ड*** से दण्डित कराया गया। थाना बहादुरगढ पर पजीकृत मु0अ0सं0 67/2024 धारा 302,201,34 भादवि में ***मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ का घटना के मात्र-139 दिन में निर्णय***।

सिद्धदोष अपराधियों का नाम व पताः-

1. सुलेखा पत्नी राजीव तोमर निवासी ग्राम जखेड़ा रहमतपुर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड़। (मृतका की माता)
2. अंकित कुमार पुत्र अनिल निवासी ग्राम जखेड़ा रहमतपुर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड़। (मृतका का तहेरा भाई)